राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 104 / 2017 रे0वाद

अनवान

1. प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह।
2. कूम्प सिंह पिता गोविन्द सिंह।
3. उदय सिंह पिता गोविन्द सिंह।
4. तिलोक सिंह पिता गोविन्द सिंह।
5. चिमन सिंह पिता गोविन्द सिंह।
6. नेनु बेवा खेतसिंह।
7. वन्ना सिंह पिता खेत सिंह।
8. राजेन्द्र सिंह पिता खेत सिंह।

समस्त आयु बालिग जाति रावत निवासीयान् करकरा का बाड़िया, उसरिया, जस्साखेड़ा बली तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

..... प्रतिवादी

उपस्थिति :—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र तिवारी
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः— 4/2/26

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ।

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम करकरा पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद की आराजी खसरा नम्बर 737 मे 07 बीघा 08 बिस्वा बिलानाम भूमि पर वादीगण संख्या 01 से 05 के पिता व वादी संख्या 07 व 08 के दादा व वादी संख्या 06 के ससुर गोविन्द सिंह पिता भोजसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा था उसके बाद का वादीगण कब्जा व उपयोग व उपभोग में है। वादीगण व उनके पिता के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि ग्राम करकरा में स्थित होकर उपयोग उपभोग में चली आ रही है भूमि के चारों तरफ बिलानाम सरकार भूमि खसरा नम्बर 737 स्थित है जिस पर 07 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर 50 वर्ष से वादीगण के पिता व उनके देहावसन के बाद वादीगण का निरन्तर

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा आज तक कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में चलता आ रहा है। यह कि खसरा नम्बर का मौजा करकरा की भूमि जो वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 739 से सलग्न है व वादीगण के उपयोग उपभोग में है उस पर वादीगण की 50 वर्ष से कांटो की बाड़ लगी हो उसमें से चारा काटते है, पशु चराते है तथा काफी संख्या में पेड़ लगा रखे जो बड़े 02 पेड़ वादीगण के कब्जे में है , पेड़ो की पान पापडी का वादीगण उपयोग करते आ रहे है जो 50 वर्ष से कर रहे है तथा भूमि में घास काटते व मवेशी चराते है। यह कि वादीगण के पिता गोविन्दसिंह का सन् 1996 में देहावसान के बाद वादीगण का कब्जा है आज दिनांक तक 50 वर्ष का कब्जा का उपयोग उपभोग चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा वादीगण व उनके पिता को इस भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत 07 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही की तथा वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के बाद वादीगण पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है जो सभी वादीगण पर इसी भूमि पर अलग–अलग पत्रावली कायम करते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। वादीगण के पिता को सर्वप्रथम अतिक्रमी मानते हुए 1982 में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस दिया तथा 1983 व 1991 में धारा 91 का नोटिस दिया उससे पहले 15 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के विरूद्ध 2016 तक नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा रही है तथा वादीगण का आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है अब कुछ राजनीतिक तत्व अवैध रूप से जबरन कब्जा करना चाहते है। यह कि वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा काश्त का उपयोग उपभोग मौजूद होकर कांटो की बाड़ लगी है व 1000 से अधिक पेड़ खड़े है तथा 50 वर्ष का निरंतर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आने से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 737 में 07 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है तथा 50 वर्ष से निरंतर कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण का खातेदारी की घोषणा का वाद है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 737 रकबा 7.08 बीघा किस्म पड़त मौजा करकरा पटवार हल्का बली जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद में पैतृक एवं निरंतर कब्जे के आधार पर हिस्से व कब्जेनुसार खातेदार टेनेन्ट घोषित किये जाने की डिक्री फरमाई जावें। अतः वाद प्रस्तुत है।

लिखित कथन

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र इस आधार पर न्यायालय में पेश किया गया। वाद पत्र की जांच कर वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किए गए। पटवारी हल्का बली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम करकरा पटवार हल्का बली अनुसार आराजी नम्बर 737 मी. रकबा 55.14 किस्म गै0मु0मगरी राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम गैर काबिज काश्त दर्ज रिकॉर्ड है।

साक्ष्य वादी / साक्ष्य प्रस्तुत किए

वादी को साक्ष्य हेतु समय दिया गया वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं प्रताप सिंह पिता गोविन्द सिंह रावत निवासी करकरा का बाड़िया, उसरिया, जस्साखेड़ा बली, खुमान सिंह पिता पूनम सिंह जाति रावत निवासी बली, जस्साखेड़ा एवं सोहन सिंह पिता चिमन सिंह जाति रावत निवासी बालाचाराट, तहसील भीम जिला राजसमंद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साक्ष्य शपथ पत्र में साक्ष्यवादी द्वारा उक्त कब्जे को स्वीकार किया गया। साथ ही नायब तहसीलदार भीम द्वारा सन् 1982, 1983 एवं तहसीलदार भीम द्वारा सन् 1991, 2005 एवं 2016 में 91 के तहत नोटिस जारी किया गए थे जिसे शामिल मिसल किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

बहस

वादी को बहस हेतु समय दिया जाकर दिनांक को वादी की एक पक्षीय बहस ी गई जिसमें वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को ही पुनः दोहराया गया।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के पत्रावली में मौजूद दस्तावेज एवं बहस अनुसार स्तुत वाद पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अनेक ायिक दृष्टांतों तथा हालिया निर्णय गिरधारी सिंह बनाम राजस्थान सरकार में यह निर्णित किया कि –प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किए जा सकते।

उक्त निर्णय से वादी को वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी धिकार दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/2/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द